

4.2 पञ्जावली पेशा कुर्क । कमील वादी उपो ।
वादी का वाद बाबत अधिदोषणा,
दूरस्ती इंद्रज एवं रूथाई निषेधात्ता
स्वीकार क्रिया जाता है । विस्तृत निरूप



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम
अति
हुक्म
य

पृथक् से लिखाया जाकर शामिल
पतावली है। ~~पतावली~~ तदनुसार पत्र
जिंदी जारी है। पतावली कैसल
सुमार होकर नंबर से कम है।

6
एप  (राज)